मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: 1152/2021/38-2 भोपाल, दिनांक: 14/07/2021

प्रति,

समस्त प्राचार्य
शासकीय /अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी महाविद्यालय
मध्यप्रदेश।

विषय :- महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं तथा महिला शिक्षकों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने संबंधी माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा की गई घोषणा क्रमांक सी.0566 के प्रभावी क्रियान्वयन बावत ।

---000---

विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश के **महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं तथा महिला शिक्षकों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण** प्रदान किये जाने संबंधी माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा की गई घोषणा क्रमांक सी.0566 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही नियमित रूप से महाविद्यालयों में की जाना है। इस संबंध में प्रशिक्षण, कांउसिलिंग तथा कार्यशालाओं के आयोजन संबंधी कार्यवाही हेतु जिले/सभांग में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थापित महिला अपराध प्रकोष्ठ में कार्यरत पुलिस अधिकारियों से समन्वय करते हुए उनकी सहभागिता भी कराई जाए।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अविलंब सुनिश्चित की जाए। साथ ही की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक के माध्यम से प्रतिमाह अकादमी शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

14.07.21
(डॉ. आलोक निगम)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक 1153/2021/38-2 भोपाल, दिनांक 14 /07/2021

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

...............की ओर सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14.07.21
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग